अनुसूची 14– फारम सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीखः– ......14/07/2022 से 19/07/2022......

जिला– बोकारो, संख्याः– ......01/2022–2023......

केस का प्रकारः– विविध वाद

आदेश की कम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
14/07/2022	आवेदिका गिरजा देवी पति चेतलाल ठाकुर, ग्राम खरकट्टो, पो0 उच्चाघाना, थाना विष्णुगढ, जिला हजारीबाग द्वारा आवेदित किया गया है कि मेरा जमीन मौजा महुआटांड, टोला नौवाबांध, पो0 मुंगो, थाना पेंक (नारायणपुर), जिला बोकारो में है। जिसका खाता सं0 01, प्लॉट सं0 13, रकबा 0.80 ए0 है जो मैं विक्रेता तिलक कमार पिता स्व0 बनवारी कमार, मो0 सुकरी पति स्व0 डेगलाल कमार से वर्ष 2002 में खरीदी हूँ। जिसका रसीद 2012–13 में कटा हुआ है। परन्तु उसी मौजे के निवासी क्रांति कमार पिता स्व0 घनश्याम कमार, सावित्री देवी पति क्रांति कमार, ग्राम महुआटांड, टोला नौवाबांध, थाना पेंक (नारायणपुर) के निवासी है। जो जबरदस्ती जमीन को हडपना चाह रहे है उनके द्वारा उचित निर्णय देकर दखल दिलाने का अनुरोध किया गया है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्राप्त करें। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अभिलेख उपस्थापित करें। Anha 14/07/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह। अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्राप्त हुआ। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का संख्या 01 में उपलब्ध कागजातों के अनुसार मौजा महुआटांड, खाता सं0 01, प्लॉट सं0 13, कुल रकबा 0.80 ए0 भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है। उक्त भूमि के केवालाधारी रैयत गिरजा देवी पति चेतलाल ठाकुर है प्रश्नगत भूमि मसोमात सुकरी पति स्व0 डेगलाल कमार तथा तिलक कमार पिता स्व0 बनवारी कमार, ग्राम महुआटांड से भूमि कय किया गया है जिसका रसीद पंजी ।। के पृष्ठ सं0 58/।। से वर्ष 1981–82 से 2012–13 तक निर्गत है भूमि पर प्रथम पक्ष का पूर्व से दखल कब्जा है। द्वितीय पक्ष जबरन कब्जा करना चाह रहा है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि भूमि पूर्वज का है। उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया है। दोनों पक्षों को भूमि संबंधी कागजात के साथ उपस्थित होने के लिये नोटिस निर्गत करें। Anha 14/07/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	तदनुसार नोटिस निर्गत किया गया। अभिलेख दिनांक 19/07/2022 को उपरस्थापित करें। ASinha 19/07/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	
19/07/2022	अभिलेख उपरस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा केवाला एवं रसीद प्रस्तुत किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। चूँकि वर्णित भूमि पर दखल कब्जा संबंधित विवाद है एवं यह मामला स्वत्व का है जिसका निराकरण अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। आवेदक सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते है। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। ASinha 19/07/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह। ASinha 19/07/2022 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINHA
Date: 2023.01.25 20:37:12 +05:30
Location: 192.168.85.197

Scanned with CamScanner